भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1988
दिनांक 11 मार्च, 2025/ 20 फाल्गुन,1946 (शक) को उत्तर के लिए

साइबर अपराधों की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर

1988. डॉ. भोला सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने साइबर अपराधों की शिकायतों के लिए कोई विशेष हेल्पलाइन नंबर आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो हेल्पलाइन नंबर की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और तत्संबंधी कार्यान्वयन तंत्र क्या है;

(ग) उक्त हेल्पलाइन नम्बर के माध्यम से अब तक कितने मामलों में सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) साइबर अपराध को रोकने पर उक्त पहल का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (घ) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध समेत अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं।

केंद्र सरकार साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों / संघ राज्य-क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के क्षमता संवर्धन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। सरकार ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) को एक संबद्ध कार्यालय के रूप में स्थापित किया है।

महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर

अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (एनसीआरपी) (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे कार्रवाई से जुड़े कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।

साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है। यह हेल्पलाइन 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' के 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' मॉड्यूल के साथ एकीकृत है ताकि लियन मार्किंग और मनी ट्रेल की जांच के संबंध में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। अब तक, हेल्पलाइन नंबर '1930' के माध्यम से 23.39 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। अब तक, 1930 और एनसीआरपी के माध्यम से पंजीकृत 13.36 लाख से अधिक शिकायतों में 4,386 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है।

****